

दूरभाष: / Ph. : 0532-2569727



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूंसी, प्रयागराज - 221508
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj,

roallahabad@uppcb.com

संदर्भ सं०..... 600 822 / OMN-186 / 2019-2020

दिनांक..... 29/9/2020

E-Mail/Registered Post

To,
The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail:- judicial-ngt@gov.in

Subject:- Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in Appeal No. 11/2020 Santosh Kol Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. in order dated 02-07-2020.

Sir,

With reference to the subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on dated 02-07-2020 by Hon'ble National Green Tribunal in Appeal No. 11/2020 Santosh Kol Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. The compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.


Encl:-As Above.

Your Sincerely


(Pradeep Kumar Vishwakarma)
Regional Officer

Copy to:-

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
2. Sri Pradeep Misra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/NGT, B-235, Sector-19, Noida, for perusal and necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.


Regional Officer 29/09/2020


29/09/2020
AEE

Compliance Report of order dated 02.07.2020 passed by Hon'ble NGT New Delhi in Appeal No. 11/2020 Santosh Kol Versus State of U.P. and ors. -

The order dated 02.07.2020 passed by Hon'ble NGT New Delhi in Appeal No. 11/2020 Santosh Kol Versus State of U.P. and ors. -

"This appeal has been preferred against order of the State Pollution Control Board (State PCB) dated 14.02.2020 determining liability of the appellant on polluter pays principle.

Main contention in the appeal is that the impugned order is a result of mistaken identity.

To decide the appeal, we find it necessary to seek response of the State PCB which may be filed within two months by email.

A copy of this order be sent to the State PCB by e-mail.


The appellant may serve a set of papers to the State PCB and file affidavit of service within one week.

List for further consideration on 06.10.2020."

In relation to the above order, the following:-

1. The appellant has not been submitted a set of papers to this office in the compliance of Hon'ble NGT order dated 02-07-2020.
2. A Joint Committee constituted by the order dated 12.02.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. No. 186/2019 Jagriti Sansthan vs. State of U.P. and others. The silica washing units located in Shankargarh area were inspected during July 1 to 3, 2019 by the joint committee in compliance of order dated 02-05-2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. No. 186/2019, in which the silica washing units of Mr. Santosh Kol is inscribed on serial number 31 (Annexure-1).
3. As per report of joint committee the silica washing unit of Mr. Santosh Kol have not valid consent from State Pollution Control Board as well as NOC from CGWA for exploitation of ground water. Hence an environmental compensation of only Rs 7.25 lakh has been imposed after approval of competent authority against washing unit of Shri Santosh Kol vide latter no. G1371 / OA No. 186/19/2020 dated 03.08.2019. (Annexure-2) in the compliance of order dated 02-05-2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. No. 186/2019.
4. Hearings on the representations submitted in this office against environmental compensation imposed on silica washing units were held on 19.11.2019, the details of which are enclosed as Annexure No.3. Details of the hearing of Shri Santosh Kol are mentioned on the serial number 22 of Annexure No.3.
5. The representation of Shri Santosh Kol has been rejected after hearing by the letter No. GO 2790/186/19/2020 dated 14.02.2020 of this office. (Enclosure-4)
6. The amount of environmental compensation imposed on Mr. Santosh Kol has not yet been paid by him.
7. A recovery certificate has been issued by this office to District Magistrate Prayagraj for collection of the amount of environmental compensation as land revenue in compliance with the order dated 02.05.2019 and 07.01.2020 passed by the Hon'ble NGT in O.A.No. 186/2019 Jagriti Sansthan Versus State of U.P. and ors.


Report for your perusal and necessary action please.


(Ranjeet Kumar)
M.A.


(Kausal Kumar)
A.E.E.

Regional Officer

E:\Suril Kumar-Steno\ro\without pad - 1\lab


29/09/2020

In the matter

O.A. No. 186/2019 (I.A. No. 79/2019)

Jagriti Sansthan

Vs

State of Uttar Pradesh & Ors

Inspection Report

In Compliance of Hon'ble NGT order
dated 02/05/2019

A. In furtherance to the order of Hon'ble Tribunal dated 02-05-2019 in the matter of illegal extraction of ground water in Shankargarh block in Allahabad vide OA no. 186/2019 (IA no. 79/2019) the constituted team with following member inspected the Shankargarh block during July 1-3, 2019.

- 1- Sri. R.K Singh AEE. UPPCB, Prayagraj.
- 2- Sri. Sant Lal , Sc 'D' CGWB, Prayagraj.
- 3- Dr. Raj Kishore Singh Sc 'D' CPCB Lucknow.

B. The scope of work assigned to the committee as per the order dated 02-05-2019 was

(a)to inspect all such units operating in the area and to submit a report on all parameters referred to in the present report.

(b)report ought to be based upon the latest data collected for the area with regard to classification of safe zone. If such data in not available, immediate steps shall be taken to prepare one.



(c) Action be instituted against all the defaulting units identified during the inspection and action taken report be filed before the next date. This action shall include imposition of environmental compensation for illegal drawl of ground water as per formula laid down in O.A. No. 546/2016, Harinder Singh Vs. M/s Prateek Buildtech (India) Pvt. Ltd. & Ors.

C. Inspection of Silica sand washing units of Shankargarh area:

1. The mines in the area of Shankargarh block are enriched in weathered sand stones (Quartzite) silica sand. The raw sands are being washed at various levels for benefaction of silica sand. 80% of silica sand are being recovered from the raw sand after washing process. These silica sands are enriched of silica (about 98%). The area lies in sub basin of river Yamuna, however for industrial uses fresh water is entirely drawn from ground water sources and from the natural resources like open well, drain etc.


 

The Study Area



Sanjay


Prakash



Location map of washing units in Shankargath

I Santy Singh

2. The use of water in this type of industries is mainly for the washing of silica sands at various levels. The waste water is re-circulated for washing process and fresh water is used as makeup water. There is no discharge of waste water from the units.
3. All the units are discharging muddy water after silica sand washing in a kuchcha lagoon, which is being further re-used for washing purposes and the mud extracted from washing is sent to local field.
4. The washing units pursue physical processes for beneficiation of silica sand. Out of 83 units, 12 units are of medium scale size and using approx.. 10KL of ground water per day and rest 71 units are of small scale size and using approx.. 7 KL of ground water per day. As per estimation approx 550 M³ ground water being extracted daily by these silica sand washing units.
5. Total 77 number of Silica Sand washing units in the Shankargarh area were inspected by the team during July 01-03, 2019. Six units mentioned at Sr. No. 14, 28,29,80,81,82,83 were inspected during April 02-03, 2019. During visit of the team, no unit representatives were present at most of the silica sand washing units. At present, out of 83 only 12 units have valid consent from UPPCB and rest 71 units are operating illegally.



L Santul Singh



Pic.-1: Photographs of silica sand washing units

6. Out of 12 units having valid consent, UPPCB has revoked Consent of 06 units and also levied penalty in the form of Environmental compensation based on the previous report submitted to Hon'ble NGT and in case of 6 remaining units, notice has been served by UPPCB and action against these units has been initiated.
7. Most of the units does not have any valid license from mining department, GST department and no license have been obtained for storage of silica sand.
8. Neither the premises of these units are demarcated nor the name and address of the units are displayed at the gate of the units. The details of the units operating in the area is presented below:



Santhosh

Out of

S. No.	Name of Unit	Capacity (Approx.)	Location/Area	Latitude/Longitude	Consent to Operate	Permission from CGWB	Borewell
1.	Bhuku Maharaj	10 TPD	Shivrajpur	25.20399/81.607602	No	No	Yes/ 6" Dia
2.	Subhash Chandra Mines	20-22 TPD	Garhwa	25.218852/81.597635	issued by UPPCB	applied	Yes/ 6" Dia
3.	Harihar Prasad Gupta	25-30 TPD	Garhwa	25.22348/81.581578	issued by UPPCB	applied	water from local drain
4.	Sambhu Prasad Gupta	20-25 TPD	Garhwa	25.223747/81.581535	No	No	No Borewell
5.	Babloo Pradhan	Defunct	Garhwa	25.22145/81.577412	No	No	NA
6.	Niraj Gupta	7-10 TPD	Garhwa	25.222012/81.57678	No	No	local drain
7.	Ashok Singh	7-10 TPD	Garhwa	-	No	No	local drain
8.	Rohit Warsney	25-30 TPD	Garhwa	25.229273/81.592542	No	No	Natural Sources
9.	Vijay Singh Patel, Unit-I	15 TPD	Goghar	25.238055/81.603527	No	No	Yes/ 5" Dia
10.	Vijay Singh Patel, Unit-II	15 TPD	Goghar	25.238238/81.60385 ✓	No	No	Yes/ 5" Dia
11.	Niraj Gupta	40-50 TPD	Garhwa	25.227488/81.586897	No	No	Yes/ 5" Dia
12.	Mathura Gupta	40-50 TPD	Garhwa	25.228433/81.586347	No	No	Yes/ 5" Dia
13.	Rohit Warsney	40-50 TPD	Garhwa	25.230223/81.58881	issued by UPPCB	No	Yes/ 5" Dia
14.	Jai Shri Trading	40-50 TPD	Ramna	25.23569/81.584198	issued by UPPCB	applied	Natural Sources
15.	Ashok Singh (Gore Lal)	operation closed from last 2 years	Barhgari	25.247715/81.584243	No	No	Yes/ 6" Dia for irrigation
16.	Balesh Singh	7-10 TPD	Kachari Mauja	25.252833/81.586542	No	No	Yes/ 6" dia
17.	Jagat Pal Singh	10 TPD	Kachari Mauja	25.250323/81.58541	No	No	Yes/ 6" dia
18.	Mahendra Singh	10-15 TPD	Kachari Mauja	25.251507/81.588757	No	No	Yes/ 6" dia
19.	Ratnesh Singh	10 TPD	Golhaya, Lalapur	25.262862/81.608454	No	No	Yes/ 6" dia
20.	Lallu Singh	10 TPD	Golhaya, Lalapur	25.263535/81.605358	No	No	Yes/ 6" dia

Handwritten signature and initials

21.	Bulbul Singh (Pradhan)	15 TPD	Golhaiya	25.265068/81.610847	No	No	Yes/6" dia Yes/6" dia
22.	Surya Prakash Kesharwani (wakil Sahab)	40 TPD	Kachari	25.258813/81.582338	No	No	Yes/6" dia
23.	Chandra Prakash Kesharwani (wakil Sahab)	Door/Gate of Unit locked from inside	Kachari	25.258558/81.581417	No	No	
24.	Narayan Enterprises	Closed	Lakhnauti	25.23969/81.574027	No	No	Yes 6" dia 2 Nos. Industrial/Domestic
25.	Sher Bahadur Singh	15 TPD	Lakhnauti	25.241018/81.574763	No	No	Yes 6" dia
26.	Raj Kumar Singh	7 TPD	Lakhnauti	25.24204/81.574407	No	No	Yes 6" dia
27.	Sri Pal Singh	25 TPD	Lakhnauti	25.240902/81.572173	No	No	Yes 6" dia
28.	Chawla Silica Sand Trading	150 TPD	Lakhnauti	25.242713/81.560623	issued by UPPCB	applied	1 No. for domestic
29.	Chawla Silica Sand Trading	70 TPD	Garha, Kaitha	25.198160/81.586565	issued by UPPCB	applied	Yes, 1 No., 6" dia and one dug well
30.	Naval Singh	7 TPD	Taktal Janwa	25.203127/81.534902	No	No	Yes 6" dia
31.	Santosh Kol	7 TPD	Taktal Janwa	25.204134/81.530322	No	No	Yes 6" dia
32.	Bodhan Yadav	7 TPD	Janwa Village	25.204855/81.530763	No	No	Yes 6" dia
33.	Nathu Prajapati	7 TPD	Janwa Village	25.203183/81.531287	No	No	Yes 6" dia
34.	Ramesh Mishra	7 TPD	Janwa Village	25.202703/81.53072	No	No	Yes 6" dia
35.	Nathu Yadav	7 TPD	Janwa Village	25.203244/81.530999	No	No	Yes 6" dia
36.	Kaushal Singh	7 TPD	Janwa Village	25.204211/81.527580	No	No	Yes 6" dia
37.	Sunil Singh	10 TPD	Janwa Village	25.198568/81.530598	No	No	Yes 6" dia
38.	Bhullli Maharaj	10 TPD	Janwa Village	25.195485/81.535455	No	No	Yes 6" dia
39.	Chaubey Ji	10 TPD	Taktal	25.19613/81.536825	No	No	Yes 6" dia
40.	Kamlesh Singh	10 TPD	Aam Godar	25.199163/81.540668	No	No	Yes 6" dia
41.	Munnu Singh	10 TPD	Aam Godar	25.197489/81.541200	No	No	Yes 6" dia
42.	Bhanu Pratap Singh	40-50 TPD	Lether	25.197653/81.541173	No	No	Yes 6" dia
43.	Gulab Singh	Non-Operational (approx. 50 TPD)	Lether	25.197968/81.545773	No	No	Yes 6" dia
44.	Ganga Tiwari	7 TPD	Pachasa	25.197868/81.552115	No	No	Yes 6" dia
45.	Ganga Shukla	7 TPD	Pachasa	25.19733/81.552107	No	No	Yes
46.	Vivek Tiwari	Defunct	Pachasa	25.197238/81.551641	No	No	No Borewell

Sanjay
Sanjay

	Amarnath Tiwari	Defunct	Pachasa	25.198088/81.545637	No	No	No Borew.
47.	Amarnath Tiwari	10 TPD	Pachasa	25.198088/81.545637	No	No	Yes
48.	Praveen Tiwari	10 TPD	Pachasa	25.1968/81.55592	No	No	Yes
49.	Shivdani	10 TPD	Biharia More	25.200143/81.559163	No	No	Yes
50.	Dilip Singh	10-15 TPD	Biharia	25.221652/81.558252	No	No	Yes
51.	Amita Gupta	25 TPD	Biharia	25.213242/81.55858	issued by UPPCB	applied	Yes
52.	Shashank Dhar Dwivedi	25 TPD	Biharia	25.21274/81.560605	No	No	Yes
53.	Arjun Shukla	10 TPD	Biharia	25.205882/81.560655	No	No	Yes
54.	Manoj Tiwari	15 TPD	Biharia	25.199078/81.57153	No	No	Yes
55.	Dilip Tiwari	15 TPD	Biharia	25.203612/81.558087	No	No	Yes
56.	Awadh Bihari Tiwari	15 TPD	Biharia	25.202727/81.557023	No	No	Yes
57.	Vijendra Kunwar Chawla	25 TPD	Biharia more	25.198607/81.561218	issued by UPPCB	applied	Yes 2 Nos.
58.	Bijay Bahadur Patel	10 TPD	Harahi	25.200853/81.577038	No	No	Yes
59.	Pushpa Rai Singh	10 TPD	Harahi		No	No	Yes
60.	Padmakar Singh/Prabhakar Singh	20 TPD	Harahi	25.200578/81.580203	No	No	Yes
61.	Prabhakar Singh	10 TPD	Harahi	25.202063/81.586817	No	No	Gram Sabha Handpump used for washing
62.	Chandra Prakash Singh	10 TPD	Katra	25.205147/81.585058	No	No	Yes
63.	Chatrapal	10 TPD	Garha Katra	25.205118/81.585035	No	No	Yes
64.	Ram Bahadur	10 TPD	Garha Katra	25.205118/81.585036	No	No	Yes
65.	Rajendra Singh Patel	10 TPD	Garha Katra	25.205732/81.583625	No	No	Yes
66.	Bijay Bahadur Singh (Anupam Enterprises)	50 TPD	Garha Katra	25.199593/81.586212	No	No	Yes 2 Nos.
67.	Hazari Patel	10 TPD	Garha Katra	25.198567/81.587577	No	No	Yes
68.	Samar Bahadur	30 TPD	Garha Katra	25.199623/81.587853	No	No	Yes
69.	Bhaiya Lal Patel	10 TPD	Garha Katra	25.20013/81.589407	No	No	Yes
70.	Bade lal Patel	Defunct condition	Garha Katra	25.20013/81.589408	No	No	Yes
71.	Unknown	10 TPD	Garha Katra	25.20013/81.589409	No	No	Yes
72.	Lalji Singh Patel	10 TPD	Garha Katra		No	No	Yes

L. Santhya
D Singh

73.	Kaushal Singh	10 TPD	Golhaiya	25.263142/81.614033	No	No	Yes
74.	Chandan Singh	10 TPD	Golhaiya	25.270921/81.612274	No	No	Yes
75.	Jagat Pal Singh	10 TPD	Golhaiya	25.271248/81.612576	No	No	Yes
76.	Bhanwar Singh	10 TPD	Golhaiya	25.272315/81.616522	No	No	Yes
77.	Santosh Singh	10 TPD	Golhaiya	25.268317/81.614961	No	No	Yes
78.	Jitu Gupta	40-50 TPD	Shivrajpur	--	No	No	Yes
79.	Pappu Singh	closed from 1 year	Kapari	--	No	No	Yes
80.	Vishal Chawla	65-70 TPD	Kaitha	--	issued by UPPCB	applied	Yes 3 Nos. , 6" dia
81.	Ramesh Chand Chawala (M/S Girdhari Lal Chawala)	40-50 TPD	Lakahampur	--	issued by UPPCB	applied	Yes 2 Nos.
82.	Krishna Minerals (Abhinandan Tiwari)	25000 MT/Annual	Benipur	--	issued by UPPCB	applied	Yes
83.	Gurdial Singh & Co. (Manjeet Singh)	400-500 MT/Month	Shivrajpur	--	issued by UPPCB	applied	Yes 2 Nos. 1 Open well

L. Sanyal 

9. Most of the units are abstracting ground water through bore well of 4 inch to 6 inch dia and having pump capacity of about 3 to 5 H.P except the units listed at serial no. 3, 4, 6, 7, 14, 28, 46 and 61. These 8 units operated occasionally and uses water collected in open well/dug well/natural pits during rainy season.
10. 12 units have applied for permission for abstraction of ground water in the month of March 2019. The CGWA granted permission for 1 unit namely M/s Gurudyal Singh & Co. out of 12 units. The flow meter at the abstraction point of bore well was not found installed at any of the unit.
11. As per the assessment data of CGWA dated 31.03.2017, The area of Shankargarh comes under safe zone. The stage of ground water extraction in the area of Shankargarh is 44.79%.
12. The UPPCB has already issued notice to following seven units not following the terms and conditions mentioned in their consent.

S.No.	Name of the unit	Industry Address	Consent Validity	Notice issued on
1.	M/s Abhinandan Silica Sand Mines	Janwa, Bara, Shankargarh	31-12-2018	04-07-2018
2.	M/s Nanak Singh Sardari Lal	Kaitha, Bara, Shankargarh	31-12-2011	02-11-2017
3.	M/s Modiram Hazarilal	Shivrajpur, Bara, Shankargarh	31-12-2011	02-11-2017
4.	M/s Nanak Singh Sardari Lal	Bashara, Bara, Shankargarh	31-12-2011	06-11-2017
5.	M/s Nanak Singh Sardari Lal	Gadha, Katra, Shankargarh	31-12-2011	06-11-2017
6.	M/s Nanak Singh Sardari Lal	Pratappur, Bara, Shankargarh	31-12-2011	02-11-2017
7	M/s Vaibhav Silica Works & Construction	Ledar, Bara, Shamkargarh	31-12-2015	02-11-2017

13. Units having valid consent from UPPCB are not complying the following laid down condition.

- Unit shall construct boundary wall along the periphery of primes.
- Unit is required to make Zeera/Metal; Road in the premises for the movement\ of the vehicles.
- Permission of the district Administration /Mining department for the Silica Sand Storage area to be submitted by the units in case the unit is not a mining holder.
- Unit shall comply the terms & conditions of the Mining Lease Deed.

[Handwritten signatures]

- e) Unit must submit Ambient Air Quality Monitoring Report of the premise from approved laboratory.
 - f) Transportation of Silica Sand should be done through covered Truck, so that nuisance of the dust could not create problems to the general public.
 - g) Unit shall develop green belt of appropriate thickness around the premise with fast growing deciduas sapling.
14. The UPPCB also levied penalty of Rs 3,60,000/- each to six units namely; M/s Vishal Chawla silica sand, M/s Chawla silica sand trading co., M/s. Girdhari Lal Chawla and sons, M/s Krishna Minerals, M/s. Guru Dayal Singh and Co. (Silica) and M/s. Jai Shree trading co. in terms of Environmental Compensation for not following the terms and conditions laid down in their consent to operate.

Recommendation of the Committee


1. UPPCB shall take action against all 71 illegally operated units in the area of Shankargarh under Water and Air Act.
2. UPPCB shall not grant the consent to operate to units without having valid permission from CGWA and Mining Department.
3. The district/ local administration shall be directed to make sure that no such units shall be operated in the area without having valid consent from UPPCB and valid permission from CGWA for the abstraction of ground water.
4. In view of the states of the ground water resources potential based on CGWA latest data dated 31-03-2017, the area comes under safe block so, the permission of ground water extraction by CGWA may be allowed in regulated manner only.
5. The units have valid consent from UPPCB and permission from CGWA for abstraction of ground water must demarcate the premises and place a board mentioning the name and address of the unit at the main gate.
6. The units having valid consent from UPPCB must follow the specific condition laid down in the consent issued to them.


R. K. Singh

AEE, UPPCB, Prayagraj


Sant Lal

Sc'D', CGWB, Prayagraj


Dr. Raj Kishore Singh
Sc'D', CPCB Lucknow

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 186/2019 जागृति संस्थान बनाम ए0ए0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा किये गये निरीक्षण कि परिपेक्ष्य में सिलिका वाशिंग प्लांटों पर अधिसूचित किये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सुनवाई का विवरण:-

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 186/2019 जागृति संस्थान बनाम ए0ए0 राज्य व अन्य माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2019 का निम्न संख्या 07 (III) यह है कि

"action be instituted against all the delauling unit identified during the inspection and action taken report be filed before the next date. This action shall include imposition of environmental compensation for illegal drawal of groundwater as per formula laid down in O.A. No. 546/2016. Harinder Singh Vs. M/s Praleek Buildtech (India) Pvt. Ltd. & Ors.

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में शंकरगढ़ क्षेत्र स्थित सिलिका वाशिक इकाईयों का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए0ए0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, केन्द्रीय यू-गर्न जल बोर्ड, के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण दिनांक 01 जुलाई 2019 से 03 जुलाई 2019 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आस्था के अनुसार शंकरगढ़ क्षेत्र में 83 सिलिका वाशिंग इकाईया चिन्हित की गई जिसमें से 12 इकाई को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अधिसूचित प्राप्त किया जाना दर्शाया गया है।

माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2019 के अनुपालन में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अधिसूचित प्राप्त किये दिना चिन्हित 71 इकाईयों में से संयालित 62 इकाईया के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.07.2019 द्वारा बोर्ड मुख्यालय साथ इस कार्यालय को प्रेषित कराया गया नि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित किये जाने का ज्ञापन संवेदन कर उक्त निर्देश के ज्ञापन के अनुसार सभी इकाईयों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। एवं कलन इकाईयों में से 61 इकाईयों (करोर 66 पर अधिक इकाई विजय बहादुर सिंह (भिसरा) अनुभव इन्टर प्राइज) को बोर्ड से सहमति जल एवं वायु आदेश प्राप्त है) के विरुद्ध दिनांक 03.08.2019 को प्रत्येक इकाई पर ₹0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित की गयी। किन्ती भी इकाई द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा किये जाने की सूचना/अधिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित और साइट कमेटी के अध्यक्ष मा० न्यायभूषिं श्री. राजेंद्र कुमार द्वारा दिनांक 23.10.2019 में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को दिये गये आदेश का मुख्य अंश निम्न है:-

.....R.O. U.P. Pollution Control Board is directed to give the complete details that how many running leases have been granted and to whom and what is the current status of the units involved in the washing of silica sand in the entire area of Shankargrah. The details may be provided within one month. Committee is of the view that the units which have been sealed and penalty has been levied must be given opportunity (Post Hearings) to put their cases.

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 186/2019 (आई०ए० संख्या 655/2019) जागृति संस्थान वनाम उ० प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.10.2019 यह है कि-

"This application has been preferred in substance against order requiring the applicant to pay compensation of Rs. 7.25 lakhs. Since the order in question is appealable, we permit the application to be withdrawn without prejudice to an appropriate remedy of the applicant in accordance with law."

उक्त आदेशों के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा दि० 19.11.2019 को सिलिका वाशिंग इकाईयों को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है। प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सुनवाई/निस्तारण के समबन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या जी०२२५९/ओ०ए० संख्या 186/2019 दिनांक 12.12.2019 द्वारा विधि अधिकारी प्रथम उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण लखनऊ से मार्ग दर्शन माँगा गया। इस समबन्ध में विधि अधिकारी प्रथम, मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-2 उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ से विचार विमर्श किया गया। निर्देशानुसार सुनवाई की गयी। सुनवाई का विवरण निम्नवत् है।

प्रेषित पत्र के क्रम में सिलिका वाशिंग इकाईयों द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त प्रत्यावेदन/प्रार्थना-पत्र के क्रम में सुनवाई दिनांक 19.12.2019 को एवं जिनके द्वारा प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है को प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 20.12.2019 को सुनवाई हेतु पत्र निर्गत किया गया है, जिसकी सूचना शंकरगढ़, वारा क्षेत्र संस्करण के समाचार पत्रों - अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में भी दिनांक 15.12.2019 को प्रकाशित कराया गया।

नियत तिथि दिनांक 19.12.2019 एवं 20.12.2019 को सुनवाई की गयी। सुनवाई की उपस्थिति एवं सुनवाई के दौरान कराये गये वीडियोग्राफी का विवरण पेनड्राइव संलग्न है। सुनवाई का संक्षिप्त इस प्रकार है।

क्रम संख्या	प्रत्यावेदक / उपस्थित प्रतिनिधि का नाम	सुनवाई की तिथि	प्रत्यावेदक / उपस्थित प्रतिनिधि के कथन का मुख्य अंश	मा० एन०जी०टी० के आदेशों से गठित समिति की आख्या का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
1.	मेसर्स भक्कू महाराज (सिलिका वाशिंग प्लांट), शिवराजपुर, शंकरगढ़ वारा, प्रयागराज	19.12.2019	श्री भक्कू महाराज द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरगढ़ द्वारा दिये गये घरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया	मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 1० टी०पी०डी० एवं 6" उंचा का कोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं	उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अपने वक्तव्य के संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। मा०

			<p>जाता था। वारिस का पानी एकत्रित किया जाता है एवं पिछले 6 वर्ष से कार्य बंद है।</p>	<p>सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।</p>
2.	<p>मेसर्स शम्भू प्रसाद गुप्ता (सिलिका वाशिंग प्लांट), गढ़वा, शंकरगढ़ वारा, प्रयागराज</p>	20.12.2019	<p>श्री विकास केसरवानी पुत्र श्री शम्भू नाथ गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जिस प्लांट पर जुर्माना अधिसूचित किया गया है उसकी पूर्ण बंदी की सूचना कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी थी उक्त प्लांट जनवरी 2012 से बंद है। जिस प्लांट पर जुर्माना अधिसूचित किया गया है उसे</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 20-25 टी0पी0डी0 एवं No Borwell दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या में भी Borwell के कालम में No Borwell दर्शाया गया है। इनके द्वारा इस कार्यालय से पूर्व में प्रेषित नोटिस के अनुपालन में अपने पत्र दिनांक 20.06.2019 द्वारा सूचित कर दिया गया था की उनके द्वारा प्लांट का संचालन बंद कर दिया गया है। गठित समिति के निरीक्षण के समय प्लांट के संचालन का उल्लंघन</p>

	<p>परमीशन की आवश्यकता प्रतीत होती है। तभी भूजल दोहन माना जाता है।</p>		<p>भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरंत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।</p>
<p>4. नरसरा अशोक सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), गढ़वा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019 श्री अशोक सिंह गौर लाल, गढ़वा, द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरगढ़ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था। वह एक किसान है। प्लांट 2012 से बंद है एवं कोई गोरवेल भी स्थापित नहीं है।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07-10 टी0पी0डी0 एवं Borwell के कालम में Natural Sources दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अपने वक्तव्य के संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त</p>

5.	<p>मेसर्स रोहित वार्ल्डव (सिलिका वाशिंग प्लांट), गढ़वा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज</p>	-	उपस्थित नहीं।	<p>किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है। कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति की एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय मू-गर्भ जल प्राधिकरण से मू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।</p>
6.	<p>मेसर्स विजय सिंह पटेल (सिलिका वाशिंग प्लांट यूनिट-1), गढ़वा, शंकरगढ़</p>	19.12.2019	<p>श्री विजय बहादुर सिंह, गढ़वा, कटरा द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी मात्र एक इकाई है</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 15 टी०पी०डी० एवं 6" डायम का बोरेल दर्शाया गया है</p> <p>उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अपने वक्तव्य के संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। मा०</p>

वारा, प्रयागराज		वह भी संचालन में नहीं पिछले 2011 से बंद है। उसके बावजूद दो नोटिसें प्रेषित की गयी है। कोई बोरवेल स्थापित नहीं है।	तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।	एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय मू-गर्म जल प्राधिकरण से मू-गर्म जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।
7.	19.12.2019	श्री विजय बहादुर सिंह, गाढ़, कटरा द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी मात्र एक इकाई है वह भी संचालन में नहीं पिछले 2011 से बंद है। उसके बावजूद दो नोटिसें प्रेषित की गयी है। कोई बोरवेल स्थापित नहीं है। उपरिस्थित नहीं।	मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 15 टी0पी0डी0 एवं 6" डायामा का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।	--तदैव--
8.		ममरा नीरज गुप्ता (सिलिका वाशिंग)	मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा	कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। मा0

<p>9.</p> <p>नेसरं मयुरा गुप्ता (सिलिका वाशिंग दांटा), गडवा, शांकरगढ वारा, प्रयागराज</p>	<p>-</p>	<p>उपरिस्थित नहीं। रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शपथ पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें कहा गया कि प्रार्थी का कोई खनन पट्टा नहीं है और न ही इस नाम से कोई सिलिका सैंड का व्यवसाय न तो किया गया है एवं न ही कर रखा है आदि.....।</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 40-50 टी०पी०डी० एवं 6" डाया का गोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।</p>
<p>दांटा), गडवा, शांकरगढ वारा, प्रयागराज</p>			<p>इकाई की उत्पादन क्षमता 40-45 टी०पी०डी० एवं 6" डाया का गोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	

-तदैव-

10.	मेसर्स बलेश सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), कचरी मौजा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	19.12.2019	श्री बलेश सिंह, कचारी, द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरगढ़ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था। कोई बोरवेल स्थापित नहीं है आदि.....।	मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07-10 टी०पी०डी० एवं 6" डायमटर बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।	उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अपने वक्तव्य के संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।
11.	मेसर्स जगतपाल सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), कचरी मौजा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	19.12.2019	श्री जगत पाल सिंह कचरी मौजा द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरगढ़ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था	मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी०पी०डी० एवं 6" डायमटर बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना	-तदैव-

<p>12</p> <p>भारतसिंह महेंद्र सिंह (शिल्लिका वाशिंग प्लांट), कच्ची मौजा, शंकरगढ बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>एवं वर्तमान में कार्य लगभग 2012 से बंद है। बोरवेल स्थापित नहीं है एवं जुर्माना गलत है। प्रेषित पत्र में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के पास न कोई खनन पट्टा एवं चरही पर कोई बोरवेल नहीं है आदि.....।</p>	<p>दर्शाया गया है।</p>	<p>—तदैव—</p>
<p>13</p> <p>भारतसिंह रत्नेश सिंह (शिल्लिका वाशिंग प्लांट), गौलैडा बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री रत्नेश सिंह, गाढा, कटरा द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरगढ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी0पी0डी0 एवं 6" डाय का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्लू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>—तदैव—</p>
<p>भारतसिंह लल्लू सिंह (शिल्लिका वाशिंग</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री लल्लू सिंह के प्रतिनिधि श्री</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा</p>	<p>—तदैव—</p>

<p>रसाट), गौतहा लालापुर, शंकरगढ बारा, प्रयागराज</p>		<p>सत्येन्द्र प्रसाद द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरगढ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था एवं वर्तमान में कार्य लगभग 2012 से बंद है। बोरवेल स्थापित नहीं है एवं जुर्माना गलत है।</p>	<p>इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी0पी0डी0 एवं 6" ज़ाया का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्ता न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>—तदैव—</p>
<p>15. नेसर्स बुलबुल सिंह, प्रधान (सिलिका वाशिंग प्लांट), गौतहा, शंकरगढ बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री सत्येन्द्र सिंह, गाढ़, कटरा द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरगढ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था। प्लांट 2012 से बंद है एवं कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है। ऋषि चावला के वाशिंग का कार्य किया जाता था। उपरिस्थित नहीं।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 15 टी0पी0डी0 एवं 6" ज़ाया का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्ता न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। संज्ञान में आया है कि श्री सूर्य प्रकाश केसरवानी का ग्राम कचारी में कोई सिलिका वाशिंग प्लांट स्थापित नहीं है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति से</p>
<p>16. नेसर्स सूर्य प्रकाश केसरवानी वकील साइट (सिलिका वाशिंग प्लांट), कचारी, शंकरगढ बारा, प्रयागराज</p>	<p>-</p>	<p>उपरिस्थित नहीं।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 40 टी0पी0डी0 एवं 6" ज़ाया का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्ता न होना</p>	<p>कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। संज्ञान में आया है कि श्री सूर्य प्रकाश केसरवानी का ग्राम कचारी में कोई सिलिका वाशिंग प्लांट स्थापित नहीं है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति से</p>

<p>17.</p> <p>भेसर्स इन्टर प्रकाश केसरवानी, वकील साहब (सिलिका वाशिंग प्लांट), कचरी, सांकरनाद बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री चन्द्र प्रकाश केसरवानी (वकील साहब), कचरी, द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पास सभी सक्षम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र है फिर भी उन्हें जुर्माना अधिशोधित किया गया है। जिससे वह बहुत परेशान है। कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है। वॉरिस के पानी का प्रयोग किया जाता है। शंकरनाद क्षेत्र वर्धा गण्डारित क्षेत्र है एवं शेफ जॉन में स्थित है। जुर्माना मनमाने तरीके से लगाया जा रहा है।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित सभापति द्वारा उत्पादन क्षमता के बालन में Door/gate of unit Locked from inside दर्शाया गया है, बोरवेल के बालन में कोई सूचना अंकित नहीं की गयी है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वह एक सिलिका का लीड होल्डर है जिसके संबंध में माइनिंग प्लान, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, एम0एस0एम0ई0 रजिस्ट्रेशन, सी0जी0डब्ल्यू0ए0 द्वारा आवेदन की तिथि 31.03.2019 की पब्लिक नोटिस प्रेषित किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित सभिति की आख्या के सदर्भ में टिप्पणी किये जाने का आश्चित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय यू-गर्म जल प्राधिकरण से यू-गर्म जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण)</p>
		<p>दर्शाया गया है।</p>	<p>शिक्षित किये गये स्थल पर स्थापित सिलिका वाशिंग प्लांट के स्वामित्व के सम्बन्ध में उपजिल्हाधिकारी बारा, प्रयागराज को पत्र प्रेषित किया गया है। आख्या प्राप्त होने पर संबंधित के नाम से पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिशोधित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।</p>	

18.	भेसत शेर बहादुर सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), लखनौटी, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	19.12.2019	श्री शेर बहादुर सिंह, बरगढी शंकरगढ़ बारा प्रयागराज द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि सिलिका वाशिंग प्लांट के नाम पर जो चरही स्थापित है, वह उनके पुरखों द्वारा बनवायी गयी एक छोटी चरही/होदी है। वहाँ पर वाशिंग से संबंधित किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है एवं कार्य लगभग 10-12 वर्षों से बंद है। अगर प्लांट का आकलन किया जाए तो उसकी कीमत 10-12 हजार ₹00 ही आकलित हो पायेगी। अतः प्राप्ती को जुमाने से मुक्ति दिवानी जाए।	मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 15 Tpa000000 एवं 6" डाय का बोरेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्लू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।	अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संवातानार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संवातन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अपने वक्तव्य के संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संवातानार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संवातन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से
-----	--	------------	---	---	---

				अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है। -तदैव-
19.12.2019	श्री राम कुमार सिंह बरगाड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि वाशिंग प्लांट का काम तीन वर्षों से बंद है। प्रार्थी एक किसान है। पट्टेधारक द्वारा दिये गये कार्य को सम्पादित करता है। परिवार के भरण-पोषण के लिए यह कार्य करता है। बारिस के पानी का प्रयोग करता है। मा0 एनजीटी द्वारा बनायी गयी कमेटी ने जो जॉब किया है वह निष्पक्षतपूर्वक नहीं किया गया है व निराधार है। जॉब से पहले किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी एवं अनावश्यक रूप से जुर्माना अधिशेषित किया गया है।	मा0 एनजीटी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07 टी0पी0डी0 एवं 6" डायम का बोरेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।		
20.	मेसर्स श्री पाल सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), लखनौटी, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	19.12.2019	श्री श्रीपाल सिंह, लखनौटी द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी कोई प्लांट लखनौटी में स्थापित नहीं है। प्लांट 2012 से बंद है।	मा0 एनजीटी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 25 टी0पी0डी0 एवं 6" डायम का बोरेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं

-तदैव-

21.	मेसर्स नवल सिडि (सिलिका वाशिंग प्लांट), तकतई जनार्ण, सांकरगाड बारा, प्रधानराज	-	एवं सरकारी हेण्ड पप का प्रयोग किया जाता है। उपस्थित नहीं।	श्री सतीष कोल, उपस्थित नहीं श्री किन्तु इनके तरफ से श्री शशांकवर द्विवेदी द्वारा अग्रमत कन्याया मग्न की सन्धिप कोल के पुस्त कोड बरही - 001 से।	सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07 टी0पी0डी0 एवं 6" डाय का बोरेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।	कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।
22	मेसर्स सतीष कोल (सिलिका वाशिंग प्लांट), तकतई जनार्ण, सांकरगाड बारा, प्रधानराज	19.12.2019	श्री सतीष कोल, उपस्थित नहीं श्री किन्तु इनके तरफ से श्री शशांकवर द्विवेदी द्वारा अग्रमत कन्याया मग्न की सन्धिप कोल के पुस्त कोड बरही - 001 से।	मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07 टी0पी0डी0 एवं 6" डाय का बोरेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।	कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। श्री शशांकवर द्विवेदी द्वारा कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने	

<p>23</p> <p>महाराज गोपबन यादव (सिल्लिका याशिग प्लेट), ग्राम जनसो, शकरगढ बारा, प्रकाशराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री गोपबन लाल यादव द्वारा अवगत कराया गया कि उनका एग्जिमेंट उनके पिताजी के जमाने से है उनके पिता मुंशीराम यादवला का कार्य कर रहे थे एवं जन्ही के जमाने से चरही स्थापित है। वर्तमान में कार्य लगभग 2012 से बंद है। बोरवेल स्थापित नहीं है एवं जुर्माना गलत है।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07 टी0पी0डी0 एवं 6" डायमिटर का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>उपरोक्त प्रतिनिधि द्वारा अपने वक्तव्य के संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिल्लिका याशिग प्लेट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सार्व बोर्ड से जल (प्रदूषण</p>				<p>दर्शाया गया है।</p>	<p>का औचित्य नहीं है। सिल्लिका याशिग प्लेट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सार्व बोर्ड से जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।</p>
--	-------------------	--	---	---	--	--	--	------------------------	--

			<p>नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत रथापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है. के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपसंत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है. जो उचित है।</p>
<p>मेसर्स नरेश प्रजापति (सिलिका वाशिंग प्लांट), ग्राम शंकरगढ़ वारा, प्रयागराज</p>	<p>20.12.2019</p>	<p>श्री नरेश ताल प्रजापति जनवरी द्वारा अलगत करवाया गया कि प्लांट का संचालन 2008 से बंद है। श्री गुंशीराम वावला द्वारा जमीन को लीज पर लेकर कार्य किया जा रहा था एवं चरही उन्हीं के द्वारा बनवायी गयी है। जो बोरवेल स्थापित है वह स्वयं के प्रयोग हेतु निष्का जाता है।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07 टी0पी0डी0 एवं 6" डाय का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>
<p>मेसर्स रमेश मिश्रा (सिलिका वाशिंग प्लांट), ग्राम जनवरी, शंकरगढ़ वारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री रमेश मिश्रा, जनवरी द्वारा अलगत करवाया गया कि प्लांट शंकरगढ़ द्वारा बंद करवाया गया है पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था। वर्तमान में कोई काम नहीं किया जा रहा</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07 टी0पी0डी0 एवं 6" डाय का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>

—तदैव—

—तदैव—

26	<p>मेसर्स नरूप यादव सिलिका काशिंग प्लांट, ग्राम जनवा, शहरासद बारा, प्रयागराज</p>	19.12.2019	<p>श्री नरूप बारा यादव, द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरासद द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा काशिंग का कार्य किया जाता था। वह एक किसान है। प्लांट 2012 से बंद है एवं कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है। इस समय रूय का व्यापार किया जा रहा है।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07 टी0पी0डी0 एवं 6" डायम का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>—तदैव—</p>
27	<p>मेसर्स कोशल सिंह (सिलिका काशिंग प्लांट), ग्राम जनवा, शहरासद बारा, प्रयागराज</p>	19.12.2019	<p>श्री कोशल सिंह, गाँव जनवा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी को जनवों के नाग से दो नोटिस प्रेषित की गयी हैं जबकि प्लांट 2012 से बंद है एवं कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07 टी0पी0डी0 एवं 6" डायम का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>—तदैव—</p>
28	<p>मेसर्स सुनील सिंह (सिलिका काशिंग प्लांट), ग्राम जनवा, शहरासद बारा, प्रयागराज</p>		<p>उपस्थित नहीं।</p>	<p>कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की आस्था के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का अवसर नहीं है। सिलिका काशिंग</p>	

		<p>सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>प्लॉट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।</p>
<p>29. मसर्स मुल्सी मजाराब (सिलिका वाशिंग प्लांट), ग्राम जनवा, शकनगढ वारा प्रयागराज</p>	<p>-</p>	<p>उपस्थित नहीं।</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी०पी०डी० एवं 6" डाय का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>
<p>30. मसर्स चांवे जी (सिलिका वाशिंग प्लांट), तकरदई, शकनगढ वारा प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री शिववती चांवे जी, वरगडी शकनगढ वारा प्रयागराज द्वारा इस संबंध में आवगत कसया गया कि सिलिका वाशिंग प्लांट के नाम पर जो बरही स्थापित है,</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी०पी०डी० एवं 6" डाय का बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>

-तदैव-

उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में दिवानी प्रमाण पत्र

वह उनके पूरखों द्वारा बनवायी गयी एक छोटी चरही/हौदी है। वहाँ पर वाशिंग से संबंधित किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है एवं जो भी कार्य किया जाता था वह तीज पर किया जाता था एवं कार्य लगभग 2011 से बंद है। मा0 एनजीटी द्वारा बनायी गयी कमेटी ने जो जॉब किया है वह निष्पक्षतपूर्वक नहीं किया गया है व निराधार है। जॉब से पहले किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी एवं अनावश्यक रूप से जुर्माना अधिरोपित किया गया है। एक वर्ष 40-50 हजार रू0 तक ही कमा पाते थे। किसी प्रकार से घर का गुजारा चल जाता है। वर्षा जल संग्रहण का ही प्रयोग किया जाता है एवं जो भी बोर स्थानित है वह सिंचाई कार्य में प्रयोग किया जाता है एवं परिसर में किसी प्रकार का बोरवेल

दर्शाया गया है।

का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।

31.	<p>मंसूर कमलेश सिंह (सिलिका वॉशिंग प्लांट), आम गोधर, शकरगढ़ बारा, प्रयागराज</p>	20.12.2019	<p>स्थापित नहीं है।</p> <p>श्री कमलेश सिंह, आमगोधर, प्रयागराज द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि चरही उनके पुरखों द्वारा बनायी गयी एक छोटी चरही/हौदी है। खेती के लिए चरही का प्रयोग किया जाता है। प्रार्थी एक किसान है जो खेती का कार्य करता है। चरही को प्लांट का नाम दे दिया गया है एवं जुर्माना अधिसूचित कर दिया गया है। मा0 एनजीटी द्वारा बनायी गयी कमेटी ने जो जॉब किया है वह निष्पक्षतापूर्वक नहीं किया गया है व निराधार है एवं किसी प्रकार का बोरेवल स्थापित नहीं है।</p>	<p>मा0 एनजीटी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी0पी0डी0 एवं 6" जाया का बोरेवल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	-तदैव-
32.	<p>मंसूर मुन्नु सिंह (सिलिका वॉशिंग प्लांट), आम गोधर, शकरगढ़ बारा, प्रयागराज</p>	19.12.2019	<p>श्री मुन्नु सिंह उपस्थित थे किन्तु इनके द्वारा सुनवाई के दौरान कोई मौखिक पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।</p>	<p>मा0 एनजीटी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी0पी0डी0 एवं 6" जाया का बोरेवल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना</p>	-तदैव-

33. मेसर्स भानु प्रताप सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), लेथर, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	19.12.2019	श्री भानु प्रताप सिंह, प्रवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनका प्लांट से किसी प्रकार का लेना देना नहीं। किसी अन्य के द्वारा शिकायत पर मेरे ऊपर जुर्माना अधिसूचित किया गया है। श्रीमती कविता चावला पत्नी श्री सुभाष चावला द्वारा जमीन तीज पर दिया गया था, जिसे मेरे बेटे द्वारा जमीन खरीद लिया गया है। प्रेषित सशपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रार्थी इण्टरमीडिएट कालेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत था सन 2009 में सेवानिवृत्त हुआ है एवं किसी प्रकार का कोई सिलिका वाशिंग का कार्य नहीं किया गया है आदि.....।	दर्शाया गया है। मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 40-50 टी०पी०डी० एवं 6" ज़ाया का चौरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।	-तदैव-
34. मेसर्स गंगा तिवारी (सिलिका वाशिंग प्लांट), पंचरसा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	19.12.2019	श्री गंगा प्रसाद तिवारी उपस्थित थे किन्तु इनके द्वारा शून्यताई के दौरान कोई भी शिकायत प्राप्त परवृत्त	मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07 टी०पी०डी० एवं 6" ज़ाया का चौरवेल दर्शाया गया है	-तदैव-

	<p>नहीं किया गया। प्रेषित पत्र में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि प्राणी के पास न कोई व्यापार, या फर्म कुछ भी नहीं है। प्राणी के सगो पिता के पास चरही भी जोकि कई वर्षों से बन्द पड़ी है।</p>	<p>तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	
<p>35. मेसर्स गंगा शुक्ला (सिलिका वाशिंग प्लांट), पचासा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज</p>	<p>20.12.2019</p> <p>श्री गंगा प्रसाद शुक्ला के प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र श्री दीपक शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि चरही पहले की बनी हुई है, कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है। वाशिंग का कार्य वर्ष 2012 से बंद है। चरही को लोक निर्माण विभाग द्वारा तोड़ दिया गया है।</p>	<p>गो एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 07 टी०पी०डी० एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>—तदैव—</p>
<p>36. मेसर्स प्रवीण तिवारी (सिलिका वाशिंग प्लांट), पचासा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज</p>	<p>20.12.2019</p> <p>श्री प्रवीण शुक्ला, पचासा, प्रयागराज द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि चरही पूर्व की बनी हुई है। प्राणी एक किसान है जो खेती का कार्य करता है। चरही को प्लांट का नाम दे दिया गया है एवं जुर्माना अनियमित कर दिया गया है।</p>	<p>गो एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी०पी०डी० एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>—तदैव—</p>

		<p>मा० एनजी०टी० द्वारा बनायी गयी कमेटी ने जो जांच किया है वह निष्पक्षपूर्णक नहीं किया गया है व निश्चार है एवं किसी प्रकार का बोरवेल स्थापित नहीं है।</p>		
<p>37. मेसर्स शिवदानी (सिलिका वाशिंग प्लांट), बिहरिया मोड़, शंकरगढ बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री शिवदानी उपस्थित थे किन्तु इनके द्वारा सुनवाई के दौरान कोई मौखिक पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रेषित पत्र में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के पास न कोई फर्म व्यापार व कारोबार नहीं है।</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी०पी०डी० एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>—तदैव—</p>
<p>38. मेसर्स दिलीप सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), बिहरिया, शंकरगढ बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री दिलीप पाण्डेय बिहरिया द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरगढ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था। वह एक किसान है। प्लांट 2012 से बंद है एवं कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है।</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10-15 टी०पी०डी० एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>—तदैव—</p>
<p>39. मेसर्स शशाकधर द्विवेदी (सिलिका वाशिंग प्लांट), बिहरिया, शंकरगढ बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री शशाकधर द्विवेदी बरगढी शंकरगढ बारा प्रयागराज द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 25 टी०पी०डी० एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण</p>	<p>—तदैव—</p>

	<p>कि चरही उनके पूरखों द्वारा बनवायी गयी एक छोटी चरही/हौदी है। खेती के लिए चरही का प्रयोग किया जाता है। प्रार्थी एक किसान है जो खेती का कार्य करता है। चरही को प्लांट का नाम दे दिया गया है एवं जुर्माना अधिसूचित कर दिया गया है। मा० एनजीटी द्वारा बनायी गयी कमेटी ने जो जॉब किया है वह निष्पक्षतपूर्वक नहीं किया गया है व निराधार है।</p>	<p>नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>
<p>40. मेसर्स अर्जुन शुक्ला (सिलिका वाशिंग प्लांट), विहरिया, शंकरगढ़ वारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019 श्री अर्जुन शुक्ला, विहरिया द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरगढ़ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था। वह एक किसान है। प्लांट 2014 से बंद है एवं कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है।</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी०पी०डी० एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>
<p>41. मेसर्स मन्मथ सिंगर (सिलिका वाशिंग प्लांट),</p>	<p>19.12.2019 श्री मन्मथ सिंगर, विहरिया गांव, द्वारा अवगत कराया गया कि</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 15 टी०पी०डी०</p>

-तदैव-

-तदैव-

<p>विहारिया, शंकरगढ बारा, प्रयागराज</p>		<p>राजा शंकरगढ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था। वह एक किसान है। प्लांट 2012 से बंद है एवं कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है।</p>	<p>एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	
<p>42 संसर्त दिलीप विवारी (संसर्तिका वाशिंग प्लांट), विहारिया, शंकरगढ बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री दिलीप कुमार विवारी उपस्थित थे किन्तु इनके द्वारा सुनवाई के दौरान कोई मौखिक पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 15 टी0पी0डी0 एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>-तदेव-</p>
<p>43 संसर्त अक्व विवारी (संसर्तिका वाशिंग प्लांट), विहारिया, शंकरगढ बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री अक्व विहारी विहारिया द्वारा अक्वत कराया गया कि राजा शंकरगढ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था। जो तदेवर में स्थापित था, परन्तु नोटिस उन्हें विहारिया के नाम पर दिया गया है। वह एक किसान है। प्लांट 2014 से बंद है एवं कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 15 टी0पी0डी0 एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्ल्यू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>-तदेव-</p>

<p>44. मेसर्स विजय बहादुर पटेल (सिडिका याशिंग प्वांट), हरारी, शंकरनगर बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री विजय बहादुर, गाढा कटरा, द्वारा आवगत कराया गया कि राजा शंकरनगर द्वारा दिये गये वरदी पर उनके पिता द्वारा याशिंग का कार्य किया जाता था। वह एक किसान है। प्वांट 2012 से बंद है एवं कोई बोरेवेल भी स्थापित नहीं है।</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी०पी०डी० एवं बोरेवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>-तदैव-</p>
<p>45. मेसर्स पूषा पाल सिंह (सिडिका याशिंग प्वांट), हरारी, शंकरनगर बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री पूषा पाल, गाढा कटरा, द्वारा आवगत कराया गया कि राजा शंकरनगर द्वारा दिये गये वरदी पर उनके पिता द्वारा याशिंग का कार्य किया जाता था। वह एक किसान है। प्वांट 2012 से बंद है एवं कोई बोरेवेल भी स्थापित नहीं है।</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी०पी०डी० एवं बोरेवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>-तदैव-</p>
<p>46. मेसर्स चन्द्रशंकर सिंह / प्रभाकर सिंह (सिडिका याशिंग प्वांट), हरारी, शंकरनगर बारा, प्रयागराज</p>	<p>19.12.2019</p>	<p>श्री प्रभाकर सिंह द्वारा आवगत कराया गया कि वह लीग 13 नॉट है एवं 2008 में वरदी बनी थी एवं वरदी वर्ष 2012 से बंद है। कोयला खोदने नहीं है एवं बोरेवेल नहीं है।</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 20 टी०पी०डी० एवं बोरेवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>-तदैव-</p>

47.	नेसर्स प्रभाकर सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), हरदो, शंकरगढ़ बारा, प्रधानराज	19.12.2019	श्री प्रभाकर सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि वह लोग छ: माई हैं वर्ष 2000 में चरही बनी थी एवं कार्य लगभग 2012 से बंद है। बोरवेल स्थापित नहीं है एवं जुर्माना गलत है।	मा10 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी0पी0डी0 एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्लू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।	48.	नेसर्स चन्द्र प्रकाश सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रधानराज	उपस्थित नहीं।	मा10 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी0पी0डी0 एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डब्लू0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।	कोई उपस्थित नहीं हुआ। मा10 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है जो उचित है। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अपने चक्रव्य
49.	नेसर्स उज्ज्वल	19.12.2019	श्री उज्ज्वल सिंह पुत्र श्री उज्ज्वल	मा10 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा					

<p>कोई भी नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण</p>	<p>कराया गया है एवं स्थापित नहीं है।</p>	<p>इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी0पी0डी0 एवं बोरेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी0जी0एल0एल0एल0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>के संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।</p>
<p>51. मसूर संघ वलरुई (सिलिका वाशिंग प्लांट), माडा कटरा, भुवनेश्वर द्वारा प्रयुक्त</p>	<p>स्थापित नहीं।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी0पी0डी0 एवं बोरेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी0जी0एल0एल0एल0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से</p>

51.	<p>प्राप्त नकल श्री गुरुदेव (राज्यक कौशल बोर्ड), गुरुदेव कलेज, साकेत बोर्ड, प्रयाग</p>	<p>श्री गुरुदेव साहेब उपस्थित थे श्री गुरुदेव साहेब द्वारा सुनवाई के निमित्त कोर्ट मौखिक पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।</p>	<p>मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी०पी०डी० एवं बोरेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अपने वक्तव्य के संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केंद्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त</p>
-----	--	---	--	--

52.	<p>भेसर्स हजारी पटल (सिलिका गोशिंग प्लांट), गाढ़ा कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज</p>	19.12.2019	<p>श्री हजारी लाल उर्फ महेन्द्र पाण्डे, गाढ़ा, कटरा, द्वारा अवगत कराया गया कि दर्शन लाल चावला को जमीन लीज पर दिया गया है एवं यह कार्य उनके द्वारा ही किया जा रहा था। प्लांट 2012 से बंद है एवं कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है।</p>	<p>श्री समर बहादुर सिंह, गाढ़ा, कटरा द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरगढ़ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था। यह एक किसान है। प्लांट 2012 से बंद है एवं कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है।</p>	<p>क्रिये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।</p>
53.	<p>भेसर्स समर बहादुर (सिलिका वाशिंग प्लांट), गाढ़ा कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज</p>	19.12.2019	<p>श्री समर बहादुर सिंह, गाढ़ा, कटरा द्वारा अवगत कराया गया कि राजा शंकरगढ़ द्वारा दिये गये चरही पर उनके पिता द्वारा वाशिंग का कार्य किया जाता था। यह एक किसान है। प्लांट 2012 से बंद है एवं कोई बोरवेल भी स्थापित नहीं है।</p>	<p>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 30 टी0पी0डी0 एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी0जी0डी0ए0 से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।</p>	<p>—तदैव—</p>

भैरव भइया लाल
दरल (सिलिका
वाशिंग प्लांट),
गाढ़ा कटरा,
शंकरगढ़ बारा,
प्रयागराज

19.12.2019

श्री गैया लाल द्वारा इस संबंध में अगगत कराया गया कि सिलिका वाशिंग प्लांट के नाम पर जो चरही स्थापित है, वह उनके पुरखों द्वारा बनावायी गयी एक छोटी चरही/हौदी है। वहाँ पर वाशिंग से संबंधित किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है एवं जो भी कार्य किया जाता था वह उनके पिता के जमाने में जाता था एवं कार्य लगभग 2011 से बंद है। मात्र एक कुआं स्थापित है। मा० एनजीटी द्वारा बनायी गयी कमेटी ने जो जाँच किया है वह निष्पक्षतपूर्वक नहीं किया गया है व निराधार है। जाँच से पहले किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी एवं अनावश्यक रूप से ज़ुर्माना अविरोधित किया गया है।

मा० एनजीटी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी०पी०डी० एवं बोरेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।

-तदेव-

19.12.2019

श्री दलदल श्री सिंह उपास्थित थे किन्तु उनके द्वारा सुनवाई के दौरान कोई भी शिकायत एक प्रमुख

मा० एनजीटी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टी०पी०डी० एवं बोरेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण

-तदेव-

5
भैरव भइया लाल
दरल (सिलिका
वाशिंग प्लांट),
गाढ़ा कटरा,
शंकरगढ़ बारा,
प्रयागराज

61.	मेसर्स जीवू गुप्ता (शिल्पिका वाशिंग प्लांट), शिवराजपुर, शंकरगढ़ बास, प्रयागराज	19.12.2019	श्री जीवू गुप्ता, गढ़वा द्वारा अवगत कशया गया कि उनके द्वारा उनका कोई प्लांट स्थापित नहीं है। श्री बद्री प्रसाद अमर नाथ गुप्ता के नाम से फर्म है परन्तु नोटिस जीवू गुप्ता के नाम से नोटिस गयी है। प्राकृतिक पानी का उपयोग गड़ढे में जमा करके किया जाता है। प्रेषित पत्र में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के पास उक्त स्थल पर कोई चरही एवं बोरवेल नहीं है आदि.....।	मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता 40-50 टी०पी०डी० एवं बोरवेल दर्शाया गया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं सी०जी०डब्ल्यू०ए० से अनुमति प्राप्त न होना दर्शाया गया है।	अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है। प्रतिनिधि मेसर्स बद्री प्रसाद अमरनाथ गुप्ता के नाम से उद्योग आधार एवं खनन पट्टा नवीनीकरण प्रस्तुत किये गये हैं। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अपने वक्तव्य के संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित समिति की आख्या के संदर्भ में टिप्पणी किये जाने का औचित्य नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भू-गर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 अनुसूची के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर में अनुमोदनोपरांत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, जो उचित है।
-----	---	------------	--	--	---

सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकार प्रत्यावेदकों द्वारा अवगत कराया गया की उनके द्वारा स्थापित की गयी चरही, जिसे वाशिंग प्लान्ट कहा जाता है, जिसकी लागत लगभग ₹0 25 से 30 हजार है। जिनका वर्तमान में संचालन भी नहीं किया जा रहा है। कई प्रत्यावेदकों द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा तालाब, कुँआ, अथवा अन्य सतही जल के स्रोत से पानी लिया जाता है, जिसकी मात्रा भी 08-10 कं०एल/डी० होती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि केन्द्रीय मू-गर्म जल प्राधिकरण (जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा पब्लिक नोटिस संख्या 26-1/सी०जी०डब्ल्यू०ए०/पी०एन०/2018 दिनांक 15.10.2019 के माध्यम से सूचित किया गया है कि मू-गर्म जल दोहन हेतु अनापत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन की तिथि 31.03.2020 है। जब अभी अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की तिथि अभी भी शेष है तो केन्द्रीय मू-गर्म जल बोर्ड को सभिति की आख्या में अवैध नहीं दर्शाना चाहिए था।

प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन०जी०टी० द्वारा मू-गर्म जल दोहन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का आदेश ओ०ए० संख्या 546/2016 हरिनन्दर सिंह बनाम प्रतीक विन्टेक (इण्डिया) प्रा०लि० व अन्य के सन्दर्भ में लगाने हेतु निर्देश दिया गया है, जो सिलिका वाशिंग इकाईयों द्वारा किये गए मू-गर्म जल दोहन पर लगाया जाना था। सिलिका वाशिंग इकाईयों को पत्र दिनांक 03.08.2019 द्वारा अधिसूचित किये गये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में यह उल्लेख है कि "सयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार इकाई द्वारा केन्द्रीय मू-गर्म जल प्राधिकरण से मू-गर्म जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना ही इकाई का संचालन किया गया है, जोकि अवैधानिक है तथा जल (प्रदूषण निवारण) अधिनियम 1974 के आजापक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।" उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति केन्द्रीय मू-गर्म जल बोर्ड को लगानी चाहिए परन्तु बोर्ड द्वारा मू-जल दोहन की अनुमति के लिए जल (प्रदूषण निवारण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत लगाई गयी है जो न्यायोचित नहीं है। इन चरही प्लान्टों से जल एवं द्रव्य प्रदूषण की सम्भावना नगण्य होता है।

सुनवाई के दौरान उपस्थित श्री संतलाल वैज्ञानिक डी० केन्द्रीय मू-गर्म जल बोर्ड प्रयागराज द्वारा भी यह मन्तव्य दिया गया कि किसी भी इकाई द्वारा यदि मू-गर्म जल का दोहन किया जाता है तो उन इकाईयों को मू-गर्म जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है। यदि जल की आपूर्ति प्राकृतिक स्रोत जैसे तालाब, नाला, एवं नदी आदि से जल की आपूर्ति हेतु मू-गर्म जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इकाईयों द्वारा गलत नाम से नोटिस प्राप्त होने का भी उल्लेख अपने प्रत्यावेदन में/मौखिक रूप से भी किया गया है। उपरोक्त का सत्यापन मू-राजस्व विभाग द्वारा खसरा-खतौनी के आधार पर किया जा सकता है।

(कौशल कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
प्रयागराज

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
प्रयागराज

(सन्तलाल)

वैज्ञानिक-डी
केन्द्रीय मू-गर्म जल बोर्ड
प्रयागराज

(जे०बी० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
प्रयागराज

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड REGIONAL OFFICE U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद महाली, रोड-10, योजना क्षेत्र-3, ई.पी. प्रयागराज - 221008

Awas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, E.P. Prayagraj

ई-मेल: rrc@uppcb.org

संदर्भ सं०

400740/156/19/2020

दिनांक

14/01/2020

सेवा में

शेखर शंकर मोहन पुत्र श्री भद्रया शर्मा (सिलिका वाशिंग प्लांट),
शाम-जनका शंकरगढ़ बारा
प्रयागराज।

विषय: माननीय एनओसीटीओ नई दिल्ली में दायर ओओएओ संख्या 100/2019 जागृति संस्थान बनाम उओप्रओ राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा किये गये निरीक्षण के परिणाम में आपके सिलिका वाशिंग प्लांट पर अतिरोधित विन्ये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में।

महोदय

रूपमा उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत हैं कि माननीय एनओसीटीओ नई दिल्ली में दायर ओओएओ संख्या 100/2019 जागृति संस्थान बनाम उओप्रओ राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 1 से 3 जुलाई, 2019 को किये गये निरीक्षण के परिणाम में आपके सिलिका वाशिंग प्लांट पर रु० 7.25 लाख मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अतिरोधित की गयी। माओ एनओसीटीओ नई दिल्ली द्वारा गठित ओवर साईट कमेटी के अध्यक्ष माओ न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार (सोचानिकृत), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 23.10.19 को क्षेत्रीय अधिकारी, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को दिये गये निर्देशों का मुख्य अंश यह है कि:-

".....R.O. U.P.Pollution Control Board is directed to give the complete details that how many mining leases have been granted and to whom and what is the current status of the units involved in the washing of silica sand in the entire area of Shankargrah. The details may be provided within one month. Committee is of the view that the units which have been sealed and penalty has been levied must be given opportunity (Post Hearing) to put their cases....."

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओओएओ सं० 100/2019 (आईओएओ संख्या 655/2019) जागृति संस्थान बनाम उओ प्रओ सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.10.2019 यह है कि:-

"This application has been preferred in substance against order requiring the applicant to pay compensation of Rs. 7.25 lakhs. Since the order in question is appealable, we permit the application to be withdrawn without prejudice to an appropriate remedy of the applicant in accordance with law."

के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.11.19 को सिलिका वाशिंग इकाईयों को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने के संबंध में पत्र भेजा गया। प्राप्त प्रत्यावेदन पर सुनवाई/निरस्तारण के संबंध में बोर्ड मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया। उनके अतिरिक्त आदेश के अनुक्रम में सिलिका वाशिंग इकाईयों द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त प्रत्यावेदन/ प्रार्थना पत्र के क्रम में सुनवाई निर्देश दिनांक 19.12.19 को भी भेजा। उपरोक्त प्रतिनिधि द्वारा अपने कर्तव्य को समर्थन में कोई अधिकारिक/प्रमाणित अभिलेख प्रेषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में माओ एनओसीटीओ द्वारा गठित समिति की अध्यक्ष के समक्ष में टिप्पणी किये जाने का अवसर नहीं है। सिलिका वाशिंग प्लांट में जल का प्रयोग हुआ है। केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण से भूगर्भ जल दोहन हेतु एनओसीटी एवं राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा संशोधित के प्राधिकरणों के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालनार्थ राहगति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है, के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अतिरोधित की गयी है, जो उचित है। इस प्रकार आपका प्रार्थना पत्र/प्रत्यवेदन निराकार है। अतः आप द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 11.11.19 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन खारिज/निरस्त किया जाता है।

भवदीय

(जो भी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

- प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।
1. सहायक सचिव महोदय, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सखगढ़।
 2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पूत-2), उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सखगढ़।
 3. मुख्य विधि अधिकारी, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सखगढ़।

क्षेत्रीय अधिकारी

13/01/2020
13/1/2020